[2022] 1 एस. सी. आर. 1024

बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड।

वी.

मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 379)

18 जनवरी, 2022

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XXXVII-सारांश सूट

बचाव करने के लिए छोड़ दें-वादी-प्रतिवादी नहीं। 1 पंजीकृत है

-

साझेदारी फर्म, निर्माता और लोहा और इस्पात उत्पादों के आपूर्तिकर्ता इसने प्रतिवादी नं. 200 टन इस्पात की आपूर्ति की थी। 1 जो एक रियल एस्टेट फर्म थी-आपूर्ति दो खरीद आदेशों के संदर्भ में की गई थी जैसा कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया था-प्रतिवादी संख्या 2, जो प्रतिवादी संख्या 2 के साथ काम करने वाला ठेकेदार था। 1 - आवश्यक भुगतान करने में विफलता पर, वादी ने प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी बनाकर संक्षिप्त मुकदमा दायर किया-ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया

दोनों प्रतिवादियों को "बचाव करने की अनुमति" प्रदान करें-अपीलार्थी प्रतिवादी सं। 2 निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी नं। 2 "बचाव के लिए छुट्टी" का हकदार नहीं था क्योंकि उठाए गए बचाव तुच्छ थे और

परेशान करने वाला और वास्तविक विचारणीय मुद्दे को जन्म नहीं दिया-उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि संक्षिप्त मुकदमा दायर करने के लिए चेक का अपमान किया जाना चाहिए और मुकदमे को बनाए रखने योग्य माना-अपील पर, आयोजित किया गयाः के अनुसार

अभियोग अभिकथन, मामला निर्देश पर और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपीलार्थी द्वारा जारी लिखित खरीद आदेशों से उत्पन्न होने वाले लिखित अनुबंध पर आधारित है-या के संदर्भ में संक्षिप्त मुकदमे की रखरखाव के खिलाफ विवाद। XXXVII को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं है-बचाव करने की अनुमति (शर्तों के साथ या बिना) देना सामान्य नियम है; और बचाव के लिए अनुमति से इनकार करना एक अपवाद है-यहां तक कि परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाने के मामले में भी, जिसमें प्रतिवादी अपने निष्पक्ष या उचित बचाव का संकेत देता है, वह आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है जब तक कि अनुमति से इनकार करने का कोई मजबूत कारण न हो-तथ्यों पर, इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) के बचाव को तुच्छ या परेशान करने वाला क्यों और कैसे माना गया था-अपीलार्थी ने वास्तव में परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाया था, विशेष रूप से इसके संबंध में।

1024 बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड। वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी के दायित्व और बचाव को पूरी तरह से तुच्छ या परेशान करने वाला नहीं कहा जा सकता है- अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को अपने दायित्व के संबंध में मुकदमे में किए गए दावे का बचाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. इस अपील में दो प्रमुख बिंदुओं के निर्धारण की आवश्यकता हैः एक, कि क्या वादी एक बनाए रखने का हकदार था विचाराधीन दावे के लिए आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत संक्षिप्त मुकदमा; और दूसरा, कि क्या अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को बचाव करने की अनुमति से सही ढंग से इनकार कर दिया गया है? [पैरा 13] [1036-सी-डी]

2. अभियोग कथन के अनुसार, मामला लिखित आधार पर है।

प्रतिवादी संख्या 1 के निर्देशों पर और उसकी ओर से अपीलार्थी द्वारा जारी लिखित खरीद आदेशों से उत्पन्न अनुबंध; और वादी ने ऐसी आपूर्ति के खिलाफ चालान उठाए थे

खरीद आदेशों के तहत। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, आदेश XXXVII सी. पी. सी. के संदर्भ में संक्षिप्त मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उस हद तक, उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 14 और 14.2] [1036-ई; 1037-बी]

3. बचाव के लिए अनुमति (शर्तों के साथ या बिना) देना सामान्य नियम है और बचाव के लिए अनुमति से इनकार करना एक अपवाद है। बचाव की अनुमति के लिए प्रार्थना को ऐसे मामलों में अस्वीकार किया जाना चाहिए जहां

प्रतिवादी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बचाव नहीं है और वह न्यायालय के समक्ष परीक्षण योग्य मुद्दों की एक झलक भी देने में असमर्थ है। पर्याप्त बचाव के मामले में, प्रतिवादी बिना शर्त छुट्टी का हकदार है; और यहां तक कि एक निष्पक्ष और उचित बचाव पर एक परीक्षण योग्य मुद्दे के मामले में, प्रतिवादी आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त छुट्टी का हकदार है। प्रतिवादी के इरादे या परीक्षण योग्य मुद्दों की वास्तविकता और बचाव की संभावना के बारे में संदेह के मामले में, अनुमति अभी भी दी जा सकती है, लेकिन मुकदमे या भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के समय या तरीके के रूप में शर्तें लगाते हुए। इस प्रकार, संदेह के ऐसे मामलों में भी या

बचाव के लिए अनुमति से इनकार करना नियम नहीं है; लेकिन

छुट्टी देते समय उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। यह केवल उस मामले में है जहां प्रतिवादी के पास [2022] 1 एस. सी. आर. पाया जाता है।

केवल उन मामलों में जहां बचाव एक मेधावी प्रतीत होगा। यहां तक कि परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाने के मामले में भी, जिसमें प्रतिवादी अपने उचित या उचित बचाव का संकेत देता है, वह आमतौर पर बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है जब तक कि छुट्टी से इनकार करने का कोई ठोस कारण हो सकता है। [पैरा 17,17.2 और 17.3] [1039-एच; 1040-ए-बी, ई-जी; 1041-ए-बी]

4. निचली अदालत ने कहा था कि प्रतिवादी कोई भी विचारणीय मुद्दा उठाने में विफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की रिकॉर्डिंग करते समय निष्कर्ष में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करना पूरी तरह से छोड़ दिया कि अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 इस दावे के साथ अपने दायित्व का विरोध कर रहा है कि वह केवल प्रतिवादी संख्या 1 के काम को निष्पादित करने वाला ठेकेदार था। यहां तक कि शिकायत के कथनों और वादी के दावों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने समय-समय पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति के खिलाफ विभिन्न भुगतान किए थे। चेक, कथित तौर पर आंशिक भुगतान के लिए

वादी द्वारा की गई आपूर्ति के विरुद्ध, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया था। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव तुच्छ या परेशान करने वाला था, केवल एक अनुमान के रूप में माना जा सकता है और इसमें आवश्यक आधार का अभाव है। कोई कारण नहीं है यह निर्दिष्ट किया गया कि वर्तमान अपीलार्थी के बचाव को तुच्छ या परेशान करने वाला क्यों और कैसे माना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की एक स्वीकृत स्थिति का प्रभाव और प्रभाव, कि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समय-समय पर भुगतान किया गया था, अपीलार्थी को अनुमति देने से इनकार करते हुए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के विचार में नहीं गया था। अपीलार्थी ने वास्तव में परीक्षण योग्य मुद्दे उठाए हैं, विशेष रूप से उसके दायित्व के संबंध में और अपीलार्थी के बचाव को पूरी तरह से तुच्छ या परेशान करने वाला नहीं कहा जा सकता है। [पारस 18,19.1 और 20] [1041-डी-एफ; 1042-सी-डी, ई]
बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मेशेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बनाम। बुनियादी उपकरण निगम ए. आई. आर 1977 एस. सी. 577: [1977] 1 एस. सी. आर. 1060; आई. डी. बी. आई. ट्रस्टीशिप 9 सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड (2017) 1 एससीसी 568: [2016] 11 एस. सी. आर. 660; प्रेम नाथ मोटर्स लिमिटेड बनाम। अनुराग मित्तल (2009) 16 एससीसी

274 : [2008] 16 एससीआर 45; वी. के. एंटरप्राइजेज बनाम शिवा स्टील्स (2010) 9 एससीसी 256: [2010] 9 एस. सी. आर. 647-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1977] 1 एससीआर 1060

संदर्भित किया गया है

पैरा 6.3

[2016] 11 एससीआर 660

पैरा 6.3

संदर्भित किया गया है

[2008] 16 एससीआर 45

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.1

[2010] 9 एससीआर 647

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 379

2022 .

उच्च न्यायालय के 11.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के आर. एफ. ए. No.402 में नई दिल्ली में।

जयंत के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिमन्यु महाजन, अपूर्वा

भूमेश, सुश्री माधवी खरे, सुश्री अनुभा गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सचिन दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. फारुख खान, सुश्री रिधिमा गोयल,

अब्दुल अज़ीज़ चौस, रामेश्वर प्रसाद गोयल, लोकेश भोला, मनीष कुमार गुप्ता, करण ग्रोवर, दीपक कुमार सिंह, ए. उशी रेड्डी, पवन कुमार, सुधीर कुमार ओझा, देबप्रियो पाल, अमित कुमार भाटी, श्रीराम पी., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

11.05.2018 2018 की नियमित प्रथम अपील संख्या 402 में, जिसके तहत नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-05 द्वारा पारित 18.09.2017 दिनांकित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की हैः पश्चिम, तीस हजारी कोर्ट, नया [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर धन वसूली संक्षिप्त मुकदमे में, जो सी. आई. वी. डी. जे./611333/2016 है, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

2.1 . शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि निचली अदालत ने अपने निष्कर्ष के साथ 18.09.2017 दिनांकित निर्णय और डिक्री पारित की थी कि कोई सुनवाई योग्य नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा मुद्दे उठाए गए थे और इसलिए, वे बचाव करने के लिए अनुमति के हकदार नहीं थे। विवादित निर्णय और दिनांक 11.05.2018 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में डिक्री की पुष्टि की है। इसलिए, वर्तमान अपील में शामिल प्रश्न अपीलार्थी द्वारा मांगे गए बचाव की अनुमति के लिए प्रार्थना तक ही सीमित हैं। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अन्य

प्रतिवादी (जो यहाँ प्रतिवादी संख्या 2 है) ने भी उक्त निर्णय और डिक्री दिनांक 18.09.2017 (2018 का आर. एफ. ए. संख्या 743 होने के कारण) के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने अलग से खारिज कर दिया था।

निर्णय और आदेश दिनांकित 05.09.2018। उक्त निर्णय और दिनांकित 05.09.2018 आदेश हमारे समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है, लेकिन हम संबंधित मोड़ पर और उसमें निष्कर्षों के निहितार्थ के संबंध में इसका उल्लेख करेंगे।

2.2 . कथन और चर्चा की निरंतरता के उद्देश्य से, पक्षों को इसमें उनकी स्थिति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा

सूट।

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

3. इस मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू हैं -

खुद को एक पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में बताते हुए जो विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति करती है। वादी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने खुद को एक अचल संपत्ति और अवसंरचना विकास फर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 (इसमें अपीलकर्ता) ने प्लॉट संख्या 1, सेक्टर 143-बी, नोएडा में विकसित की जा रही अपनी परियोजना 'एम. आई. एस. टी.' के निर्माण कार्य के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काम करने वाले ठेकेदार के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व किया। 3.2 . वादी ने जोर देकर कहा कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में, उसने प्रतिवादी संख्या 1 के स्थल पते पर 200 टन इस्पात की आपूर्ति की थी; और यह आपूर्ति बी. एल. कश्यप और एस. ओ. एन. एस. लिमिटेड के दो खरीद आदेशों के संदर्भ में की गई थी।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

चालान उठाए गए थे, जैसा कि शिकायत के पैराग्राफ 7 में विस्तार से बताया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि रुपये की राशि। 89,50,244 / - इस प्रकार की गई आपूर्ति और इस प्रकार जुटाए गए चालान के खिलाफ देय रहा। 3.3 . वादी ने आगे कहा कि उक्त चालान के खिलाफ भुगतान के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक्सिस बैंक, सेक्टर-44 नोएडा शाखा पर दो चेक जारी किए, जो चेक नंबर 037274 दिनांकित थे।

04.05.2015 रुपये की राशि के लिए Rs.14,72,269/- और चेक संख्या 037272 दिनांकित 09.05.2015 के लिए। 13,34,319 / - जबकि वादी को सूचना प्राप्त करने के बाद ही चेक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में, वादी ने प्रतिवादियों को देय राशि की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया और आवश्यक भुगतान करने में उनकी विफलता पर, आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत विषय मुकदमा दायर किया।

3.4 . इस प्रकार दायर किए गए संक्षिप्त मुकदमे में, प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ बचाव करने की अनुमति मांगी, कि उसे वादी के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी क्योंकि खरीद आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए थे; कि विचाराधीन चालान वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर उठाए गए थे; कि न तो खरीद आदेश और न ही चालान पर प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर थे; और यह कि सभी लेन-देन वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच थे, जहां प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना था। यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 बल्कि विचाराधीन अनुबंध के लिए एक अजनबी था। 3.5 . प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आग्रह की जाने वाली दलीलों के विरोध में, वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास था।

प्रतिवादी संख्या 2 पर उसी को स्थानांतरित करके। इस तर्क के समर्थन में वादी ने अपने बही खाते के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 के खाते का बयान भी रखा, जिसमें वादी के अनुसार, यह प्रदर्शित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 को दिए गए सामान का भुगतान उनके द्वारा किया गया था।

प्रतिवादी नं. 1. वादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कोई समझौता नहीं था, तो [2022] 1 एस. सी. आर. था।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वादी के नाम पर चेक जारी करने का कोई कारण नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि चालान प्रतिवादी संख्या 2 को संबोधित किए गए थे, लेकिन उन्होंने "सी/ओ मिस्ट" का भी उल्लेख किया, जो वादी के रुख की पुष्टि करता है।

3.6 . अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 ने बचाव के लिए अनुमति मांगने के लिए एक अलग आवेदन दायर किया। इस आवेदन में यह तर्क दिया गया था कि

अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के अधीन सिविल ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। कि खरीद आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जारी किए गए थे; और यह कि वादी द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए थी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शुरू की गई परियोजना का निर्माण, जो उक्त परियोजना का लाभार्थी था। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के तहत, निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति करना मालिक, यानी प्रतिवादी संख्या 1 का कर्तव्य था और प्रतिवादी संख्या 2 को उसके द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के लिए भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए खरीद आदेशों को दिखाने वाले खातों के बयानों की प्रतियां।

प्रतिवादी संख्या 1 को रिकॉर्ड पर रखा गया था; और यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी आपूर्ति के बिलों को नियत समय में समाप्त कर दिया गया था। वास्तव में, अपीलार्थी का मामला यह था कि उसका वादी के प्रति कोई दायित्व नहीं था।

3.7 . वादी ने बचाव करने के लिए अनुमति के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना का भी विरोध किया कि अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 कोई पर्याप्त बचाव करने में विफल रहा था और वह मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। यह दावा किया गया था कि माल की आपूर्ति की गई थी

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाए गए खरीद आदेश; और पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 को आपूर्ति किए गए सामान के लिए भुगतान करेगा। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मुकदमे में अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिका "महत्वपूर्ण" थी क्योंकि माल के लेन-देन में वास्तव में यह प्रतिवादी शामिल था।

निचली अदालत ने दोनों प्रतिवादियों का बचाव करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया

4. अपने दिनांकित 18.09.2017 के विवादित फैसले में, निचली अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों द्वारा दायर दोनों आवेदनों पर विचार किया

एक साथ बचाव करने के लिए अनुमति की मांग; और यह देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी केवल बोझ को स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे थे

एक-दूसरे। 4.1 . ट्रायल कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 एक ठेकेदार था जो निर्माण समझौते के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 के तहत काम कर रहा था। और इस समझौते के खंड 10 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 बी. एल. कश्यप एंड सॉन्स लिमिटेड।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील और पावर

निगम और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ठेकेदार द्वारा खरीदी गई और व्यवस्था की गई वस्तुओं, सामग्री या वस्तुओं की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर वादी पर खरीद आदेश दिए गए थे और माल की निर्विवाद रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के स्थल पते पर आपूर्ति की गई थी, जो लेनदेन का अंतिम लाभार्थी था। यह भी नोट किया गया कि इस तरह की आपूर्ति के लिए उठाए गए बिलों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आग्रह किया गया कि अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी, इन तथ्यों के संदर्भ में खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को भुगतान कर रहा था; और समय-समय पर चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए गए विभिन्न भुगतानों का संदर्भ दिया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लेन-देन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के साइट पते पर सामग्री की आपूर्ति की जा रही थी और प्रतिवादी नंबर 1 सीधे वादी को भुगतान कर रहा था। अतः विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनुबंध की गोपनीयता की कमी के बारे में उठाया जाना, बिना किसी तथ्य के था और किसी भी परीक्षण योग्य मुद्दे को जन्म नहीं दे रहा था। ट्रायल कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत संक्षिप्त मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि वादी ने पेश नहीं किया था।

नकदीकरण के लिए उपरोक्त चेक यह देखते हुए कि मुकदमा केवल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए दो चेकों पर आधारित नहीं था, बल्कि सामग्री की आपूर्ति के लिए उठाए गए खरीद आदेशों और चालानों पर भी आधारित था; और चालान एक पूर्ण अनुबंध था, जैसा कि आदेश XXXVII सी. पी. सी. द्वारा विचार किया गया था।

4.2 . प्रतिवादी संख्या 1 के मामले को खारिज करने के बाद, मुकदमा

न्यायालय अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 के बचाव की अनुमति के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए भी आगे बढ़ा, जबकि यह देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के एजेंट के रूप में सामान प्राप्त किया गया था और इसलिए, दोनों प्रतिवादी भुगतान करने के लिए बाध्य थे। निचली अदालत ने कहा,

" 15. वादी द्वारा जारी किए गए चालानों को प्रतिवादी नं. - 1 और माल प्रतिवादी सं. द्वारा प्राप्त किया गया है। - 2 प्रतिवादी सं. के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना। 1. इसलिए, दोनों प्रतिवादी एक दायित्व के तहत हैं

वादी द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं का भुगतान।

5. इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों द्वारा कोई विचारण योग्य मुद्दा नहीं उठाया गया था और बचाव की अनुमति मांगने वाले उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। नतीजतन, वादी के पक्ष में [2022] 1 एस. सी. आर. के लिए मुकदमा चलाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रु. की राशि। 89,50,244 / - प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ संयुक्त और प्रतिवादियों के कई दायित्वों के साथ डिक्रीटल का भुगतान करना। राशि।

उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

6. अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 ने 2018 का आर. एफ. ए. संख्या 402 होने के कारण नियमित पहली अपील के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज कर दिया और अपील को खारिज कर दिया। 6.1 . उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि केवल प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान के माल के वितरण पते के लिए, इसका मतलब यह नहीं होगा कि खरीद आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के थे, जबकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट था कि खरीद आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए थे। चालान वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 पर उठाए गए थे न कि प्रतिवादी संख्या 1 पर; और प्रतिवादी संख्या 2 का उन चालानों में खरीदार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

सी. पी. सी. क्योंकि उनके कुल मूल्य के लिए चालान लिखित अनुबंध थे, जिसमें वादी को भुगतान के लिए अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2-प्रतिवादी संख्या 1 के दायित्व की निर्दिष्ट राशि शामिल थी। विचाराधीन चेकों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि चेक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए थे, फिर भी सी. पी. सी. के आदेश संख्या XXXVII के तहत एक मुकदमा प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ होगा क्योंकि आदेश संख्या XXXVII सी. पी. सी. में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि भुगतान के लिए जारी किए गए चेक उस व्यक्ति के होने चाहिए जिसके खिलाफ देयता का दावा किया गया है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (डी) के अनुसार एक अनुबंध के तहत विचार केवल एक अनुबंध के लिए पक्षों के बीच प्रवाह/पारित करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही चेक प्रस्तुत नहीं किए गए हों, लेकिन आदेश के तहत मुकदमा बनाए रखा जा सकता है XXXVII सी. पी. सी. क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि संक्षिप्त मुकदमा दायर करने के लिए चेक का अपमान किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त वाद की स्थिरता पर आगे टिप्पणी की, तब भी जब निम्नलिखित शब्दों में प्रतिवादियों का एक संयुक्त और कई दायित्व थाः -

" 9. तथ्य यह है कि अपीलार्थी का एक संयुक्त और कई दायित्व हैं / प्रतिवादी नं. 2 उत्तरदाता सं। 2 / प्रतिवादी नं. 1 इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस संयुक्त और कई दायित्वों को लागू करने के लिए, विषय मुकदमा बी. एल. कश्यप और एस. ओ. एन. एस. लिमिटेड।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील और पावर

निगम और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी/प्रतिवादी नं. दोनों के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता था। 2 और प्रत्यर्थी नं। 2 यहाँ। एक बार दायित्व संयुक्त हो जाता है और कई अपीलार्थी/प्रतिवादी नं। 2 उत्तरदाता सं। 2 / प्रतिवादी नं. 1 , और जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (डी) के ऊपर कहा गया है, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिफल पारित करने/भुगतान करने की अनुमति देता है जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, इसलिए केवल इसलिए कि प्रतिवादी नं। 2 / प्रतिवादी नं. 1 अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा खरीदे गए माल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के लिए सहमत हुआ था

नहीं। 2 , इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलार्थी/प्रतिवादी नं। 2 अब उत्तरदायी नहीं होगा और दायित्व केवल प्रत्यर्थी नं. 2 / प्रतिवादी नं. 1 . "

6.3 . उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय के नहीं थे

मेशेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स v. बुनियादी उपकरण निगमः ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 577, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है; लेकिन लागू सिद्धांत आई. डी. बी. आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में निहित थे। हबटाउन लिमिटेड : (2017) 1 एससीसी 568। इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित सिद्धांतों को दोहराते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 बचाव करने के लिए अनुमति का हकदार नहीं था क्योंकि उसके द्वारा उठाए गए बचाव वास्तविक परीक्षण योग्य मुद्दों को जन्म नहीं देते हैं; और बचाव तुच्छ और परेशान करने वाले थे, केवल वादी होने के नाते माल के विक्रेता के न्यायसंगत बकाया से इनकार करने के लिए उठाए गए थे।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया।

7. आगे बढ़ने से पहले, हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक अपील दायर की थी, जो आर. एफ. ए. संख्या 743 की थी।

2018 , निचली अदालत के दिनांक 18.09.2017 के फैसले और डिक्री को चुनौती देने के लिए। प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा इस प्रकार दायर अपील पर विचार किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अलग (और बाद में) निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निर्णय लिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाया गया बचाव तुच्छ या परेशान करने वाला था और इस निष्कर्ष के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निम्नलिखित शब्दों में कारण दियाः -

" अपीलार्थी/प्रतिवादी का बचाव सं। 1 यह स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाला था, और यह एक वास्तविक विचारणीय मुद्दा नहीं उठाता था, क्योंकि यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी का कोई दायित्व नहीं था। 1 तब, अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से भुगतान करने का प्रश्न कहाँ था?

प्रतिवादी नं. 1 प्रत्यर्थी नं. 1 / वादी। "[2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिद्वंद्वी विवाद

8. अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 2 से संबंधित मामले की ओर लौटते हुए, हम कुछ समय के लिए इसमें प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर ध्यान दे सकते हैं।

यह अपील।

9. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया है कि द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के खिलाफ भुगतान के लिए दायित्व

वादी अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 का नहीं था, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 का था, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि वादी ने स्वयं अनुरोध किया था कि उसके द्वारा की गई आपूर्ति के लिए भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 का था। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, विवादित डिक्री वादी के अपने मामले के विपरीत आगे बढ़ती है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

9.1 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी केवल प्रतिवादी संख्या 1 के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि इस्पात की आपूर्ति के लिए समझौता वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच था; और अपीलार्थी, जिसने केवल प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खरीद आदेश जारी किए हैं, उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 230 के संदर्भ में वादी को भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी अभिकर्ता को मूलधन की ओर से निष्पादित अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वकील ने प्रेम नाथ मोटर्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। अनुराग मित्तलः (2009) 16 एससीसी 274। विद्वान वकील ने अभी तक यह प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने संख्या वाले दो चेक जारी किए थे। 037274 और की गई आपूर्ति के खिलाफ वादी को आंशिक भुगतान के लिए 037272; और जब उच्च न्यायालय ने पाया है कि एक चेक एक लिखित समझौता है जिसमें आदेश XXXVII नियम के अनुसार परिसमापन राशि होती है।

1 (2) सी. पी. सी. के अनुसार, उक्त चेक केवल प्रतिवादी संख्या 1 का दायित्व होगा न कि अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 का।

इस विवाद का आधार वी. के. एंटरप्राइजेज बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर होगा। शिव स्टील्सः (2010) 9 एससीसी 256। 10. इसके विपरीत, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान अपील, केवल कानूनी दायित्व से बचने का प्रयास होने के कारण, खारिज किए जाने के योग्य है।

बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड। वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी का नाम और यह कि माल अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था। इस तथ्य की स्थिति में, विद्वान वकील के अनुसार, केवल इसलिए कि माल की डिलीवरी का पता प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व वाली साइट का था, अपीलार्थी अपने दायित्व से बच नहीं सकता है और वास्तव में, प्रतिवादी संयुक्त रूप से खड़े थे और उक्त चालान के खिलाफ देय राशि को समाप्त करने के लिए कई दायित्व थे। 10.2 . विद्वान वकील का तर्क होगा कि उनके कुल मूल्य के लिए चालान लिखित अनुबंध का गठन करते हैं और इसलिए, मुकदमे में सही कहा गया है

आदेश XXXVII सी. पी. सी. के संदर्भ में दायर किया गया है जहां प्रतिवादी एक दूसरे पर दायित्व स्थानांतरित करके भाग नहीं सकते हैं।

11. उपरोक्त के विभिन्न आयामों में, प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित निर्माण समझौते के तहत, वादी द्वारा सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के साथ खरीद आदेश दिए थे और वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर चालान उठाए गए थे और इसलिए, वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का काम कर रहा था और चालान में परियोजना के नाम का उल्लेख किया गया था जहां

सामान वितरित किया जाना था जो प्रतिवादी नंबर 1 को उत्तरदायी नहीं बनाएगा

वादी को भुगतान करें। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि न तो माल की आपूर्ति के लिए समझौते के निष्पादन के समय इसकी सहमति ली गई थी और न ही इस्पात की दरों पर चर्चा की गई थी; और खरीद आदेशों और चालानों पर भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम या उसकी ओर से कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पहले किए गए भुगतानों का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि इस तरह के भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 के अनुरोध पर किए गए थे जब उसने नकदी प्रवाह में कमी दिखाई थी और वादी सहित विक्रेताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.1 . प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.09.2018 के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है।

अपील (2018 का आर. एफ. ए. सं. 743) यह तर्क देते हुए कि उक्त अपील प्रासंगिक तथ्यों को स्वीकार किए बिना खारिज कर दी गई। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच अन्य विवाद थे, जिसके लिए अन्य मुकदमे दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

12. हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और कानून के संदर्भ में मामले के रिकॉर्ड की जांच की है

लागू होता है।

विश्लेषण

13. यहाँ पहले जो देखा गया है, उसके लिए इस अपील में दो प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित करने की आवश्यकता हैः एक, कि क्या वादी था

के लिए आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत एक संक्षिप्त मुकदमा बनाए रखने का हकदार है

विचाराधीन दावा; और दूसरा, कि क्या अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को बचाव करने की अनुमति से सही ढंग से इनकार कर दिया गया है? 14. आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत एक संक्षिप्त मुकदमे के रूप में वादी द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता से संबंधित प्रश्न को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

हम बहुत लंबे समय तक। यह सरल कारण है कि वाद अभिकथन के अनुसार, मामला याचिकाकर्ता द्वारा निर्देशों पर और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जारी लिखित खरीद आदेशों से उत्पन्न लिखित अनुबंध पर आधारित है; और वादी ने खरीद आदेशों के तहत ऐसी आपूर्ति के खिलाफ चालान उठाए थे। वादी ने आगे बताया है कि चालान के खिलाफ आंशिक भुगतान के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दो चेक जारी किए गए थे, जो चेक संख्या 037274 दिनांक 04.05.2015 है।

रु. की राशि में। 14,72,269 / - और संख्या. 037272 दिनांकित 09.05.2015 रुपये की राशि में। 13,34,319 / - .

14.1 . वादी का दावा संयुक्त और प्रतिवादियों के कई दायित्वों का था। यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी

प्रश्नगत आपूर्ति के संबंध में केवल प्रतिवादी संख्या 1 के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था और उसका कोई मौद्रिक दायित्व नहीं था, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा उठाया जाना चाहिए, उसके बचाव का विषय हो सकता है। बचाव की प्रकृति से संबंधित इस पहलू की जांच अगले प्रश्न में की जाएगी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा बचाव के इस तरह के प्रस्ताव से वादी-प्रतिवादी संख्या 1 का आदेश XXXVII सी. पी. सी. के संदर्भ में संक्षिप्त वाद बनाए रखने का अधिकार नहीं छीन सकता है। यह इस तथ्य के अलावा है कि प्रतिवादियों के संयुक्त और कई दायित्वों का दावा करते हुए, वादी ने बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड पर भी भरोसा किया है।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील और पावर

निगम और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कहा जाता है कि चेक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए थे, जो कथित रूप से उक्त प्रतिवादी के अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। नंबर 1.

14.2 . मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, आदेश XXXVII सी. पी. सी. के संदर्भ में संक्षिप्त मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उस हद तक, हमें कोई कारण नहीं मिलता है। उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप पर विचार करना। हालाँकि, सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अपीलार्थी बचाव करने के लिए अनुमति का हकदार नहीं है?

15. बचाव की अनुमति के प्रश्न के संबंध में, जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थी इस तरह के अधिकार का हकदार नहीं होगा।

अनुमति दें क्योंकि अपीलार्थी द्वारा लिए जाने वाले बचाव पक्ष से कोई परीक्षण योग्य मुद्दा उत्पन्न नहीं हो रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि बचाव तुच्छ और परेशान करने वाले थे। और केवल माल के विक्रेता, यानी वादी के न्यायसंगत बकाया से इनकार करने के लिए उठाए गए थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, बचाव की अनुमति देने के सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैसा कि आई. डी. बी. आई. ट्रस्टीशिप (ऊपर) के मामले में वर्णित है, अपीलार्थी

बचाव के लिए छुट्टी का हकदार नहीं था।

16. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निचली अदालत ने मेशेलेक इंजीनियर्स (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि लागू सिद्धांत वे थे जो इस अदालत के बाद के फैसले में आई. डी. बी. आई. ट्रस्टीशिप (ऊपर) में निहित थे। सवाल पर गौर करें

साथ ही, इस न्यायालय के उक्त दो निर्णयों में बताए गए सिद्धांतों को एक साथ पढ़ना सार्थक होगा।

16.1 . मेचेलेक इंजीनियर्स (ऊपर) के मामले में, एक संक्षिप्त मुकदमे में बचाव करने के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना पर विचार करने के सिद्धांत थे इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित किया गया हैः -

" 8. किरणमयी डस्सी में श्रीमती बनाम। डॉ. जे. चटर्जी [ए. आई. आर. 1949 कैल 479: 49 सीडब्ल्यूएन 246,253: आई. एल. आर. (1945) 2 कैल 145।] दास, जे. ने इस विषय पर अधिकारियों की व्यापक समीक्षा के बाद कहा कि

निम्नलिखित प्रस्तावों के रूप में आदेश 17 सी. पी. सी. द्वारा कवर किए गए मामलों पर लागू सिद्धांत (पी. 253):

" (क) यदि प्रतिवादी अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास दावे के गुण-दोष के आधार पर उसका अच्छा बचाव है, तो वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति का हकदार नहीं है और प्रतिवादी बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

बचाव करें।

अच्छा बचाव वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का हकदार नहीं है और प्रतिवादी बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। (ग) यदि प्रतिवादी ऐसे तथ्यों का खुलासा करता है जो उसे बचाव करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं, अर्थात, हालांकि

हलफनामा सकारात्मक रूप से और तुरंत यह स्पष्ट नहीं करता है कि उसके पास बचाव है, फिर भी, तथ्यों की ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि कार्रवाई के मुकदमे में वादी के दावे के बचाव को स्थापित करने में सक्षम हो सकता है वादी निर्णय का हकदार नहीं है और प्रतिवादी बचाव करने के लिए अनुमति का हकदार है लेकिन ऐसे मामले में अदालत अपने विवेक से मुकदमे के समय या तरीके के रूप में शर्तें लगा सकती है लेकिन अदालत में भुगतान के रूप में नहीं।

(घ) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है या बचाव व्यवस्था भ्रामक है। या ढोंग या व्यावहारिक रूप से चाँदनी तब आम तौर पर वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति का हकदार है और प्रतिवादी का अधिकार नहीं है

रक्षा करने के लिए छोड़ दें। (ई) यदि प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है या बचाव पक्ष भ्रामक या बनावटी या व्यावहारिक रूप से अस्पष्ट है, तो हालांकि आम तौर पर वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति का हकदार है, अदालत केवल बचाव पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति देकर वादी की रक्षा कर सकती है यदि दावा की गई राशि अदालत में भुगतान की जाती है या अन्यथा सुरक्षित की जाती है और ऐसी शर्त पर प्रतिवादी को अनुमति देती है, और इस तरह प्रतिवादी के प्रति दया दिखा सकती है।

प्रतिवादी को बचाव साबित करने का प्रयास करने में सक्षम बनाकर।

16.2 . आई. डी. बी. आई. ट्रस्टीशिप (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय

उपरोक्त सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया हैः -

उपकरण निगम। , (1976) 4 आदेश 37 नियम 3 के संशोधन और मिल्खा राम मामले में चार न्यायाधीशों के बाध्यकारी निर्णय [मिल्खा राम (भारत) (पी)] को देखते हुए एस. सी. सी. 687] अब रद्द कर दिया जाएगा। लिमिटेड वी. चमनलाल ब्रदर्स। , आकाशवाणी 1965 एससी 1698: (1966) 68 बॉम एल. आर. 36], निम्नानुसार हैः

17.1 . यदि प्रतिवादी अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, यानी एक बचाव जो सफल होने की संभावना है, तो वादी कश्यप एंड संस लिमिटेड है।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील और पावर

निगम और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी मुकदमे का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है।

17.2 . यदि प्रतिवादी परीक्षण योग्य मुद्दे उठाता है जो यह दर्शाता है कि उसके पास एक निष्पक्ष या उचित बचाव है, हालांकि एक सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव नहीं है, तो वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी

विचारण योग्य मुद्दों की वास्तविकता, विचारण न्यायाधीश परीक्षण के समय या तरीके के साथ-साथ भुगतान दोनों के बारे में शर्तें लगा सकता है। अदालत या सुरक्षा प्रदान करना। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के प्रावधानों का उद्देश्य विफल न हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के परीक्षण योग्य मुद्दों को जमा या प्रतिभूति के रूप में अनुचित गंभीर आदेशों द्वारा बंद नहीं किया जाता है।

17.4 . यदि प्रतिवादी एक ऐसा बचाव करता है जो प्रशंसनीय लेकिन असंभव है, तो विचारण न्यायाधीश मुकदमे के समय या तरीके के साथ-साथ अदालत में भुगतान, या प्रतिभूति प्रदान करने के बारे में शर्तें लगा सकता है। चूंकि इस तरह का बचाव विचारणीय मुद्दों को नहीं उठाता है, जमा या प्रतिभूति के रूप में शर्तें या दोनों ब्याज के साथ पूरी मूल राशि तक विस्तारित हो सकती हैं जैसा कि अदालत को लगता है कि मामले के न्याय की आवश्यकता है।

17.5 . यदि प्रतिवादी के पास कोई पर्याप्त बचाव नहीं है और/या कोई वास्तविक परीक्षण योग्य मुद्दा नहीं उठाता है, और अदालत इस तरह के बचाव को तुच्छ या परेशान करने वाला, फिर मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया जाएगा, और वादी तुरंत निर्णय लेने का हकदार है।

17.6 . यदि वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई हिस्सा प्रतिवादी द्वारा उससे देय होने के लिए स्वीकार किया जाता है, तो मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति (भले ही परीक्षण योग्य मुद्दे या पर्याप्त बचाव उठाया गया हो) तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इस तरह से स्वीकार की गई राशि प्रतिवादी द्वारा अदालत में जमा नहीं की जाती है।

17. यह तुरंत स्पष्ट है कि भले ही आई. डी. बी. आई. टीशिप के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि आदेश XXXVII के नियम 3 के संशोधन के मद्देनजर मेशेलेक इंजीनियर्स मामले के ग्राफ 8 में बताए गए सिद्धांतों को हटा दिया जाएगा, लेकिन मूल रूप से, सिद्धांत वही रहते हैं कि बचाव करने या बिना शर्त के अनुमति देना) सामान्य नियम है; और [2022] 1 एस. सी. आर. को अनुमति देने से इनकार करना।

ऐसे मामलों में बचाव की अनुमति से इनकार किया जाना चाहिए जहां प्रतिवादी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बचाव नहीं है और वह न्यायालय के समक्ष परीक्षण योग्य मुद्दों की एक झलक भी देने में असमर्थ है। 17.1 . जैसा कि देखा गया है, यदि प्रतिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, यानी एक बचाव जो सफल होने की संभावना है, तो वह बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। दूसरी घटना में, जहाँ

प्रतिवादी एक निष्पक्ष या प्रामाणिक या उचित बचाव का संकेत देते हुए परीक्षण योग्य मुद्दे उठाता है, हालांकि एक सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव नहीं है, वह आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार होगा। तीसरी स्थिति में, जहां प्रतिवादी विचारण योग्य मुद्दे उठाता है, लेकिन यह संदिग्ध रहता है कि क्या प्रतिवादी सद्भावना से या मुद्दों की वास्तविकता के बारे में इसे उठा रहा है, तो निचली अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह एक ओर वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकताओं को संतुलित करे और दूसरी ओर अनुचित रूप से गंभीर आदेशों द्वारा परीक्षण योग्य मुद्दों को बंद न करे। इसलिए, विचारण न्यायालय समय या परीक्षण के तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या प्रतिभूति प्रदान करने दोनों के बारे में शर्तें लगा सकता है। चौथी स्थिति में, जहां प्रस्तावित बचाव प्रशंसनीय लेकिन असंभव प्रतीत होता है, मुकदमे के समय या तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या प्रतिभूति प्रदान करने या दोनों के बारे में अधिक शर्तें लगाई जा सकती हैं, जो न्यायसंगत और अपेक्षित ब्याज के साथ पूरी मूल राशि तक विस्तारित हो सकती हैं। 17.2 . इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि पर्याप्त बचाव के मामले में, प्रतिवादी बिना शर्त छुट्टी का हकदार है; और यहां तक कि मामले में भी

एक निष्पक्ष और उचित बचाव पर एक परीक्षण योग्य मुद्दा, प्रतिवादी आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। प्रतिवादी के इरादे या परीक्षण योग्य मुद्दों की वास्तविकता और बचाव की संभावना के बारे में संदेह के मामले में, अनुमति अभी भी दी जा सकती है, लेकिन मुकदमे या भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के समय या तरीके के रूप में शर्तें लगाते हुए। इस प्रकार, संदेह या आपत्तियों के ऐसे मामलों में भी, बचाव की अनुमति से इनकार करना नियम नहीं है; लेकिन अनुमति देते समय उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। यह केवल उस मामले में है जब प्रतिवादी के पास कोई पर्याप्त बचाव नहीं पाया जाता है और/या अदालत के विचार के साथ कोई वास्तविक परीक्षण योग्य मुद्दा नहीं उठाया जाता है कि बचाव तुच्छ या परेशान करने वाला है कि बचाव की अनुमति से इनकार किया जाना है और वादी तुरंत निर्णय लेने का हकदार है। बेशक, उस मामले में जहां वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई भी हिस्सा प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है, बचाव की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इस तरह से स्वीकार की गई राशि प्रतिवादी द्वारा अदालत में जमा नहीं की जाती है।

बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड। वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील एंड पावर कॉर्पोरेशन एंड ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

17.3 . इसलिए, बचाव की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार करते समय, आगे बढ़ना सही तरीका नहीं होगा जैसे कि इनकार करना।

अनुमति नियम है या बचाव की अनुमति केवल असाधारण मामलों में या केवल उन मामलों में दी जानी है जहां बचाव एक मेधावी प्रतीत होगा। यहां तक कि परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाने के मामले में भी, जिसमें प्रतिवादी अपने उचित या उचित बचाव का संकेत देता है, वह आमतौर पर बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है जब तक कि अनुमति से इनकार करने का कोई मजबूत कारण न हो। यह दृढ़ता से दोहराया जाता है कि भले ही रक्षा की संभावना के बारे में एक उचित संदेह बना रहे, अधिक कठोर

या जैसा कि ऊपर कहा गया है, छुट्टी देते समय उच्च शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन छुट्टी से इनकार करना आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में स्वीकार किया जाएगा जहां प्रतिवादी कोई वास्तविक विचारणीय मुद्दा दिखाने में विफल रहता है और अदालत बचाव पक्ष को तुच्छ या परेशान करने वाला पाती है।

18. जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों और विवादित आदेशों पर लागू करते हैं, तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि

वादी के संयुक्त और कई दायित्वों के बारे में दावे के कारण मुकदमे को आदेश XXXVII सी. पी. सी. के तहत बनाए रखने योग्य पाते हुए प्रतिवादियों, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बचाव तुच्छ और परेशान करने वाले थे। निचली अदालत ने कहा था कि प्रतिवादी विफल रहे

किसी भी परीक्षण योग्य मुद्दे को उठाने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज करते समय, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करना पूरी तरह से छोड़ दिया कि अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 इस दावे के साथ अपने दायित्व का विरोध कर रहा है कि वह केवल प्रतिवादी संख्या 1 के काम को निष्पादित करने वाला ठेकेदार था। यहां तक कि शिकायत के कथनों और वादी के दावों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने समय-समय पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति के खिलाफ विभिन्न भुगतान किए थे। वादी द्वारा की गई आपूर्ति के खिलाफ कथित रूप से आंशिक भुगतान के लिए चेक जारी किए गए थे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव तुच्छ या परेशान करने वाला था, केवल एक अनुमान के रूप में माना जा सकता है और इसमें आवश्यक आधार का अभाव है।

19. इस मोड़ पर, हम मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता का भी उल्लेख कर सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2) ने निचली अदालत के उसी फैसले और डिक्री पर सवाल उठाया था, जिसकी तारीख 18.09.2017 थी -

एक अलग अपील का तरीका, 2018 का आर. एफ. ए. सं. 743 होने के नाते, वह था

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाया गया बचाव तुच्छ [2022] 1 एस. सी. आर. था।

या परेशान करने वाला और इस निष्कर्ष के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से एक प्रश्न के रूप में कारण दिया कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 का कोई दायित्व नहीं था, तो भुगतान करने का सवाल कहां था?

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को नियमित रूप से?

19.1 . यह तुरंत ध्यान देने योग्य है कि दिनांकित निर्णय और आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बताए गए कारणों के विपरीत

05.09.2018 , उच्च न्यायालय ने केवल वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश में कहा है कि बचाव पक्ष तुच्छ या परेशान करने वाले थे और केवल माल के विक्रेता के न्यायसंगत बकाया से इनकार करने के लिए उठाए गए थे। वर्तमान अपीलार्थी के बचाव के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों और कैसे

(प्रतिवादी संख्या 2) को तुच्छ या परेशान करने वाला माना गया। वादी की एक स्वीकृत स्थिति का प्रभाव और प्रभाव, कि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समय-समय पर भुगतान किया गया था, ऐसा लगता है कि इनकार करते हुए निचली अदालत और उच्च न्यायालय के विचार में नहीं गया था।

अपीलार्थी पर छोड़ दें। वही विचार, जो अदालतों के साथ प्रतिवादी संख्या 1 को बचाव करने की अनुमति से इनकार करने के लिए थे, अपीलार्थी के मामले में वास्तव में लागू नहीं किए जा सकते थे; बल्कि वे विचार, हमारे विचार में, अपीलार्थी के लिए परीक्षण योग्य मुद्दों का मामला बनाते हैं।

20. इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी ने वास्तव में परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाया है, विशेष रूप से इसके दायित्व और अपीलार्थी के बचाव के संबंध में इसे पूरी तरह से तुच्छ या परेशान करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

20.1 . मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम यह ठहराने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को अनुमति दी जानी चाहिए थी

21. ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए हमने अपीलार्थी को बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति देने पर विचार किया होगा, लेकिन फिर, यह देखा जाता है कि दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी की शर्त पर डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा दी है। रुपये की राशि जमा करना। 40,00,000 / - (चालीस लाख)। इसके बाद, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने इस तरह की जमा राशि के तथ्य पर ध्यान दिया और जमा करने में चार दिनों की देरी को माफ कर दिया। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और दावे की प्रकृति और बचाव की प्रकृति को देखते हुए इस तथ्य को भी उठाया जाना चाहिए कि बी. एल. कश्यप एंड सॉन्स लिमिटेड द्वारा दायर अपील।

वी. मेसर्स जे. एम. एस. स्टील और पावर

निगम और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रतिवादी संख्या 1 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, हम अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 को बचाव करने की अनुमति देना उचित और उचित पाते हैं, जबकि निचली अदालत के लिए रुपये की उक्त राशि के उपचार के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं। 40,00,000 / - इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया।

21.1 . चूंकि अपीलार्थी को बचाव करने की अनुमति दी जा रही है, हम अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई अन्य दलीलों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके दायित्व के संबंध में; और सभी प्रासंगिक पहलुओं को विचारण न्यायालय के विचार के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

22. तदनुसार, यह अपील सफल होती है और उस तरीके से अनुमति दी जाती है जो 11.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा पारित किया गया था। जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थी से संबंधित है, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.09.2017 का विवादित निर्णय और डिक्री

(प्रतिवादी नं. 2), अलग रखे जाते हैं; अपीलार्थी को बचाव करने की अनुमति दी जाती है; और रु। 40,00,000 / - अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि को बचाव की अनुमति की शर्त पर जमा राशि माना जाएगा। विचारण न्यायालय रुपये की उक्त राशि के उपचार के लिए उचित आदेश पारित करेगा। 40,00,000 / - और फिर मुकदमे के मुकदमे के साथ केवल अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 2 कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

22.1 . वर्तमान अपील की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)